

नम्बर व
 तारीख
 अहकाम जो
 इस हुक्म की
 तामील में
 जारी हुए

12.08.2022 प्रार्थना पत्र दफतर से वाद जाँच पेश हुआ मुताविक डिक्री पालना हेतु तहसीलदार राजाखेडा का परवाना जारी हो। कि यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पालना कर रिपोर्ट दिनांक 07.09.2022 तक इस न्यायालय में पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली दिनांक 07.09.2022 को पेश हो।

07⁹/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पेशी हो गई गत आदेश दिनांक 07.09.2022 को पत्रावली दिनांक 19/10/22 को पेश हो।

कोर्ट पेशी

हस्ताक्षर रीडर

13¹⁰/₂₂

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्तु ईलाका साबील दिनांक 12/11/22 को पेश हो।

12¹¹/₂₂

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार राजाखेडा से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा नारायण सा. 3693 द्वारा डिक्री की पालना कर दी गई है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फंसल थुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेडा (धौलपुर)

सदस्य
 राष्ट्रीय लोक अदालत

अध्यक्ष
 राष्ट्रीय लोक अदालत

10/11/22

कोर्ट